

निदेशक/ एमडी/ सीईओ द्वारा ----- तारीख को घोषणा और वचन

नाम :

1. निदेशक/ एमडी/ सीईओ के प्रासंगिक रिश्ते

- (i) रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो एआरसी से जुड़े हैं (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 77 देखें)
- (ii) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उन्हें रुचि रखने वाला माना जाता है (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 49 और धारा 184 देखें)
- (iii) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उसे पर्याप्त रुचि रखने वाला माना जाता है (पर्याप्त रुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार का, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, किसी कंपनी/ फर्म के शेयरों में धारित लाभकारी हित, जिस पर भुगतान की गई कुल राशि कंपनी/ फर्म की चुकता शेयर पूंजी/पूं जी के दस प्रतिशत से अधिक है)
- (iv) एनबीएफसी/एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों का नाम, जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रहे हैं (उस अवधि का विवरण भी दें, जिसके दौरान ऐसा कार्यालय संभाला गया था)
- (v) निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों, जो वर्तमान में उनके और/ या ऊपर 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एनबीएफसी/ एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त की जा रही हैं।
- (vi) मामले, यदि कोई हों, जहां एनबीएफसी/ एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में ऊपर 1(ii) और (iii) में निदेशक या संस्थाएं चूक में हैं या अतीत में चूक कर चुके हैं।

2. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड

प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ

3. निदेशक/ एमडी/ सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो,

- (i) क्या निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/ निकाय का सदस्य है? अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित अथवा शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध अतीत में दोष सिद्ध हुआ है या उन्हें किसी भी समय किसी भी पेशे/ व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- (ii) आर्थिक कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के उल्लंघन के लिए निदेशक और/ या उपर्युक्त 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध पूर्व में लंबित या शुरू होने वाले या दोषसिद्ध होने के परिणामस्वरूप अभियोजन का विवरण दें।
- (iii) निदेशक के खिलाफ पिछले पांच वर्षों में लंबित या निकट भविष्य में शुरू होने वाले या दोषसिद्ध होने के परिणामस्वरूप आपराधिक मुकदमा चलने का विवरण दें, यदि कोई हो,
- (iv) क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

- (v) क्या उपर्युक्त 1(ii) और 1(iii) में निदेशक अथवा कोई भी इकाई किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने के अनुसार किसी जांच के अधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।
- (vi) क्या निदेशक को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।
- (vii) क्या निदेशक किसी भी समय नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए, आदि के प्रतिकूल नोटिस में आया है?
- (viii) क्या निदेशक को पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है?
- (ix) क्या निदेशक अभी भी इरादतन चूककर्ता की सूची में शामिल है?

4. कोई अन्य स्पष्टीकरण/ सूचना जो निदेशक/ एमडी/ सीईओ के 'उचित और उपयुक्त' निर्णय के लिए प्रासंगिक मानी जाती हो

प्रतिज्ञा पत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं एआरसी के बोर्ड को मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो ऊपर प्रदान की गई जानकारी से प्रासंगिक हैं, के बारे में जल्द से जल्द पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता/ देती हूँ।

* मैं एआरसी के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक 'संविदा विलेख' को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

* केवल निदेशकों के लिए लागू

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की उपरोक्त जानकारी के सत्य और पूर्ण होने पर संतुष्टि की टिप्पणी।

स्थान :

एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

दिनांक :

नाम :